भारत सरकार **Government of India**
रेल मंत्रालय **Ministry of Railways**
रेलवे बोर्ड **(Railway Board)**

RBA No. 63 /2021

No. 2021/AC-II/2/4/e

New Delhi, dated 18.11.2021

General Managers/PFAs,
All Indian Railways & PUs

Sub: **ACS No. 153** of Indian Railway Finance Code Vol. II- Creation of a new Sub Head and detailed Head under Minor Head-200.

~~~~~~~~

In order to bring into account all revenues received by IR from operations of Tourist Circuit Trains (also known as Bharat Gaurav Trains) under separate head of Account , it has been decided to open a **new subhead "230- Tourist Circuit Trains' under Minor head -200 of Abstract X** as per enclosed **Advance Correction Slip No. 153 to F-II**

Contents of the correction slip may please be circulated suitably.

Kindly acknowledge receipt.

DA: As above.

18/11/21

**(Ajay Bartwal)**
**Joint Director Finance /CCA**
**Railway Board**

**Copy to:**

1. Dy. C&AG (Railways) Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
2. EDPM, EDFM, EDF(B),ED(T&C)
3. AC-I (Comp), AC-III (6 copies), AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget), Pay & Accounts/Rly Bd.
~~~~~~~~

Advance Correction Slip No. 153

Indian Railway Finance Code Vol.II (Reprint Edition 2008)

Classification of Earnings (Appendix-III)

Please open a new Sub Head "230- Tourist circuit Trains" under existing Minor Head-200.

Minor Head (Existing)	Sub Head (New)	Detailed Head (new)
200	230 Tourist circuit Trains	231-Revenue from Tourist circuit Trains 232-Other receipts from Tourist Circuit Trains

(Authority : Board's letter no. 2021/ACII/2/4/e dated : 18.11.2021)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 63/2021

सं. 2021/एसी-II/2/4/ई

नई दिल्ली, दिनांक 18.11.2021

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 153 - लघु शीर्ष -200 के अंतर्गत नया उप शीर्ष और वि ब्यौरेवार शीर्ष का सृजन।

लेखा के पृथक शीर्ष के अंतर्गत पर्यटन सर्किट गाड़ियों (जिन्हें भारत गौरव गाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है) के परिचालन से भारतीय रेल द्वारा प्राप्त सभी राजस्वों को लेखे में लाने के उद्देश्य से, संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 153 से एफ-II के अनुसार सार एक्स के लघु शीर्ष-200 के अंतर्गत नया उपशीर्ष "230-पर्यटन सर्किट गाड़ियां" खोलने का विनिश्चय किया गया है।

शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को उपयुक्त रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त/सीसीए
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. कार्यपालक निदेशक यात्री विपणन, कार्यपालक निदेशक मालभाड़ा विपणन, कार्यपालक निदेशक वित्त (बजट), कार्यपालक निदेशक (पर्यटन एवं खानपान)।
3. लेखा-I (संकलन), लेखा-III (6 प्रतियां) , लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट), वेतन एवं लेखा/रेलवे बोर्ड।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 153

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II (पुन:मुद्रित संस्करण 2008)

आमदनी का वर्गीकरण (परिशिष्ट-III)

कृपया मौजूदा लघु शीर्ष-200 के अंतर्गत नया उप शीर्ष "230-पर्यटन सर्किट गाड़ियां" खोलें।

लघु शीर्ष (मौजूदा)	उप शीर्ष (नया)	ब्यौरेवार शीर्ष (नया)
200	230 पर्यटन सर्किट गाड़ियां	231- पर्यटन सर्किट गाड़ियों से राजस्व 232- पर्यटन सर्किट गाड़ियों से अन्य प्राप्तियां

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 18.11.2021 का पत्र सं. 2021/एसी।।/2/4)
